



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :-10/2023

जी.सी.एम.एस. नं. 2023/40

1. कालूराम पुत्र मोहनलाल
2. राकेश पुत्र मोहनलाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी तूंगा रोड़ बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

--वादीगण--

बनाम्

1. प्रभूदयाल पुत्र भौरीलाल
2. रामजीलाल पुत्र भौरीलाल
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कड़ीवालो की ढाणी बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. प्रभूनारायण पुत्र भौरीलाल
4. प्रकाश पुत्र स्व० रामगोपाल
5. कृष्ण पुत्र स्व० रामगोपाल
6. सुभाष पुत्र स्व० जगदीशनारायण
7. रामबाबू पुत्र स्व० जगदीशनारायण
8. रोशन पुत्र स्व० जगदीशनारायण
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी कड़ीवालों की ढाणी बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
9. रामगोपाल पुत्र कल्याण सहाय
समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम चकभाजपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
10. राकेश कुमार पुत्र मूलचन्द जाति माली निवासी ग्राम झोटवाडा बैनाड रोड़ जयपुर।
11. राजकुमारी पत्नी ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पालावाला जाटान तहसील बस्सी जिला जयपुर।
12. मीरा देवी पत्नी गिराज जाति महाजन निवासी पंचोलियों का मोहल्ला बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर राज०।

--प्रतिवादीगण--

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री अमरीश कुमार शर्मा, एड० वादीगण
श्री राजेश कुमार शर्मा, एड० प्रतिवादीया संख्या 12

पर्चा डिक्री

दिनांक 23/12/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 7 आदेश 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को न्यायाहित में स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1954, 1965, 1960 वाके ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला-जयपुर के सम्बन्ध में वादीगण का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वाद कारण के अभाव में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर